

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या-कानि0-2-2027/व्यापक-9(15/08-30प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(26)-2008
दिनांक: 30 जून, 2008

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य सवधित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) की धारा 74 के माध पठित धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, डाम्पैरिक्त टैरिफ एरिया के अथवा विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के अंदर के व्यवहारी द्वारा विशेष आर्थिक परिक्षेत्रों के विकासकर्ता, सह विकासकर्ता तथा वहां स्थापित इकाईया को कमिश्नर, वाणिज्य कर, द्वारा निहित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर विकास आयुक्त द्वारा प्राधिकृत "आपरेशनस" हेतु लेने पर माल को ऐसा माल विनिर्दिष्ट करते हैं जिसके आवर्त पर दिनांक 01 जनवरी, 2008 से कोई कर उद्गाहीत या भुगतान नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिये शब्द "विशेष आर्थिक परिक्षेत्र" और "डाम्पैरिक्त टैरिफ एरिया" के वही अर्थ होंगे जो विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम, 2005 में उनके लिये समनुदेशित हैं।

अज्ञा से,
(गोविन्दन नाथर)
प्रमुख सचिव

UTTAR PRADESH SHASAN
SANSTHAGAT VITTA, KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.KA.NI.-2- 2295 /XI-9(820)/92-U.P.Act-15-48-Order-(11)-2007 dated October 11, 2007.

NOTIFICATION

KA.NI.-2- 2295 /XI-9(820)/92-U.P.Act-15-48-Order-(11)-2007


Lucknow :: Dated :: October 11, 2007

In exercise of the powers under section 22 of the Uttar Pradesh Special Economic Zone Development Authority Act, 2002 (U.P. Act no. 10 of 2002) and section 50 of the Special Economic Zone Act, 2005 (Act no. 28 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from October 11, 2007, the following amendment in Government notification no.KA.NI.-2-770/XI-9(820)/92-U.P.Act-15-48-(07)-2006 dated May 05, 2006, as amended from time to time :-

Amendment

In the aforesaid notification, the words "The provision regarding treating sale from Special Economic Zone to Domestic Tariff Area as "import" for payment of Central and State taxes shall not continue." shall be omitted.

By Order,


(K. Chandramouli)
Pramukh Sachiv